



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1947 (श0)

(सं0 पटना 1672) पटना, बुधवार, 15 अक्तूबर 2025

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

14 अक्तूबर 2025

सं० : एम०-2-02/2025-33—बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर होने पर डाक मतपत्र द्वारा मत देने के लिए व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप अधिसूचित किये जाने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली आदेश संख्या-52/2025/SDR-Vol.I दिनांक 07.10.2025 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

07 अक्टूबर, 2025

सं० 52/2025-एसडीआर/खण्ड-I—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में और बिहार के शासकीय प्रशासन के साथ परामर्श से मामले पर सम्यक विचार करने पर, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के मौजूदा उपबंधों तथा आयोग के निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार, बिहार विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2025 के अनुबंध-I (प्रति संलग्न) के अनुसार अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर होने पर डाक मतपत्र द्वारा मत देने के लिए व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में अधिसूचित करता है, उक्त निर्वाचनों का कार्यक्रम 10.10.2025 एवं 13.10.2025 को अधिसूचित किए जाने के लिए निर्धारित है।

आदेश से,
एस.बी.जोशी,
प्रधान सचिव।

अनुबंध-I

1. विद्युत विभाग
2. बीएसएनएल
3. रेलवे
4. डाक एवं तार
5. दूरदर्शन
6. आकाशवाणी
7. कॉम्फेड एवं संबंधित दुग्ध सहकारी समितियाँ एवं इकाइयाँ
8. स्वास्थ्य विभाग, बिहार
9. भारतीय खाद्य निगम
10. राज्य खाद्य निगम
11. विमानन
12. लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम
13. अग्निशमन सेवाएँ
14. यातायात
15. एम्बुलेंस सेवाएँ और
16. मतदान दिवस कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी

Election Commission of India

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Notification

07th October, 2025

No. 52/2025/SDR/VOL.I--In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951 and on due consideration of the matter in consultation with the Government of Bihar, the Election Commission hereby notifies the persons employed in the essential services as mentioned in Annexure-I (copy enclosed) as a class of persons to give vote by postal ballot on being on duty on the day of poll in the current General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2025 as per the relevant provisions of existing the Conduct of Election Rules, 1961 and the Commission's directions and guidelines. The programme of the said election is scheduled to be notified on 10-10-2025 & 13-10-2025

**By order,
S.B. JOSHI,
PRINCIPAL SECRETARY.**

Annexure-I

1. Electricity Department
2. BSNL
3. Railways
4. Post & Telegram
5. Doordarshan
6. All India Radio
7. COMFED and related Mili Cooperatives & Units
8. Health Department, Bihar
9. Food Corporation of India
10. State Food Corporation
11. Aviation
12. Long distance Govt. Road Transport Corporation
13. Fire Services.
14. Traffic
15. Ambulance Services and
16. Media Persons authorized by ECI for poll day coverage

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1672-571+50-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>